न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास–डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी,आई.ए.एस

राजस्व मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या –30/2020

प्रार्थीगण — बनाम — **अप्रार्थी**

1. मोहनराम पुत्र दलाराम
2. बजरंगलाल पुत्र दलाराम
3. नानूराम पुत्र रूपाराम
4. सोहनराम पुत्र टीकुराम
5. बलवीर पुत्र पूनाराम
6. केसाराम पुत्र हैमाराम
7. पोकरराम पुत्र मुकनसिंह

सभी जाति जाट
निवासीगण भींचरो का बास,
नालोट तहसील नावां,
जिला नागौर

बहत्तरसिंह, पीठासीन अधिकारी,
नायब तहसीलदार नावां

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री रमेश कुमार ढ़ाका।
2. अप्रार्थी की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

आदेश दिनांक– 28/12/2020

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 54 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत, न्यायालय नायब तहसीलदार नावां जिला नागौर में लम्वित मुकदमा संख्या–02/2020 बअनवान पटवारी नालोट बनाम मोहनलाल व अन्य को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने हेतु दिनांक 29.07.2020 को प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से पैरावाईज टिप्पणी तलब की गयी।

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील नावां जिला नागौर के न्यायालय में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु पटवारी हल्का नालोट द्वारा एक बनावटी, झुठी व फर्जी रिपोर्ट खसरा नम्बर 381 रकबा 0.41 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता के 12 वर्गमीटर भू भाग पर अतिक्रमण प्रार्थीगण के द्वारा करने के संबंध में प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसे सही मानकर प्रकरण संख्या 02/2020 दर्ज करते हुऐ प्रार्थीगण के विरूद्व धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही हाजा प्रारम्भ कर दी गई। इस संबंध में अप्रार्थी के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थीगण ने विस्तृत जबाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया था कि रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिकमण प्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि रास्ते की भूमि की तरफ पानी से रास्ते की जायगा में कटाव लगता है, जिस पर पानी का कटाव नहीं लगे, इसके लिए ग्राम पंचायत द्वारा अनुमति देने पर झिंकरा व मिट्टी डलवाई गई थी। इसके अलावा उक्त रास्ता पूर्व में भी चालू था व आज दिन भी चालू है, क्योंकि इसी रास्ते से प्रार्थीगण का आना जाना है व प्रार्थीगण की ढ़ाणियां भी इसी रास्ते से होकर आते जाते है। पटवारी [illegible] नायब तहसीलदार अप्रार्थी ने राजनैतिक दबाव में आकर प्रार्थीगण के विरूद्व [illegible] [illegible] रहे है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि रास्ते [illegible] संबंध में सही जॉच करवा दी जाये, जिस पर सतर्कता समिति में उक्त प्रकरण दर्ज [illegible] मौजूद भी अप्रार्थी संख्या [illegible] जानबूझकर कुछ

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:12:05 IST
Reason: Self Attested

कलक्टर, नागौर

व्यक्तियों का खुश करने के लिए जबरन हमारे विरूद्ध अतिकमण की कार्यवाही करवाकर हमे दोषी करार करवाने पर आमादा है, जबकि हमारे द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिकमण नहीं किया हुआ है।

बेगाराम पुत्र जैसाराम व मेवाराम पुत्र रामबगसाराम जाति जाट निवासी भींचरों का बास, नालोट राजनैतिक पहूंच वाले व्यक्ति है तथा ये आये दिन हमारे विरूद्ध झुठी शिकायते कर रहे है। जिसके कारण नायब तहसीलदार जी उक्त व्यक्तियों के दबाव में है तथा उक्त व्यक्ति गांव में कह रहे है कि इस बार आपको जेल करवा देंगे तथा अप्रार्थी भी उक्त प्रकरण को तुरन्त फुरत में निस्तारित करने पर आमादा है, जबकि विधि अनुसार हमे साक्ष्य, सबूत व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण का निस्तारण करना चाहिए, इसके अलावा पूर्व की जो हमारे विरूद्व गलत कार्यवाही की गई थी, उसकी अपील भी न्यायालय अपर जिला कलक्टर डीडवाना के समक्ष विचाराधीन है तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार भी रास्ते पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं माना गया, इसके बावजूद नायब तहसीलदार द्वारा पूर्व में हमे गलत रूप से बेदलख करने की कार्यवाही की गई थी, जबकि हमारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण उक्त रास्ते की भूमि पर नहीं था व अभी भी नायब तहसीलदार उक्त व्यक्तियो को खुश करने के लिए हमे जानबुझकर दोषी साबित करने पर आमादा हैं, ऐसी स्थिति में हमे अप्रार्थी से न्याय की किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है।

प्रार्थीगण को उक्त शिकायतकर्तागण व अप्रार्थी के कृत्य से पूरी आशंका है कि उसके द्वारा नायब तहसीलदार से मिलावट कर ली है तथा येन केन प्रकारेण उक्त प्रकरण का बिना किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर दिये ही गलत व अनुचित रूप से प्रार्थीगण के विरूद्व अवांछित निर्णय पारित करवाने पर आमादा है। यदि ऐसा किया गया तो प्रार्थीगण के साथ भारी अन्याय होगा तथा उनको अपूर्णिय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में सुनवाई के लिए मुन्तकिल किया जाना उचित एवं न्याय संगत है तथा प्राकृतिक न्याय का सिद्वान्त भी यह कहता है कि सबको सुनवाई का अवसर देकर ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए। किन्तु अप्रार्थी व शिकायतकर्तागण के कृत्य से इस संभावना को बल मिलता है कि वे येन केन उक्त प्रकरण का फैसला अपने पक्ष में कराने का उतारू है। इसलिए उक्त प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

उपरोक्त तथ्यो व परिस्थितियों में यह पूर्णतया प्रमाणित है कि अप्रार्थी व शिकायतकर्तागण व उनके राजनैतिक शहकर्ताओ के हित एक दूसरे से जुड़े हुए है और वह येन केन प्रकारेण मनमाने रूप से प्रकरण का निस्तारण अपनी इच्छानुसार करने पर आमादा है। इस हेतु प्रकरण का निस्तारण करने की दिशा में काम करना भी प्रारम्भ कर दिया है, जिससे वर्तमान पीठासीन अधिकारी से प्रार्थी को न्याय मिलने की कोई उम्मीद शेष नहीं रहने का कथन करते हुए प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील नावां जिला नागौर के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रकरण संख्या 02/2020 बअनवान सरकार बनाम मोहनलाल व अन्य की पत्रावली तलब कर किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया।

राजपैरोकार ने वकील प्रार्थी की बहस का विरोध करते बहस में कथन किया कि पटवारी पटवार मण्डल नालोट द्वारा अधिनरथ न्यायालय में दिनांक 15.07.2020 को प्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत् प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें पटवारी हल्का नालोट द्वारा प्रार्थीगण द्वारा ग्राम भींचरों का बास के खसरा नम्बर 381 रकबा 0.41 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता की राजकीय भूमि पर 12 वर्गमीटर नाजायज मिट्ठी डालकर, दो फीट का जम्प बनाकर पानी के कुदरती बहाव को रोक दिया तथा अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में भी [illegible] प्रकार अतिक्रमण किया था। जिसका प्रकरण धारा 91 आरएलआर एक्ट के तहत तहसीलदार [illegible] के न्यायालय में प्रकरण संख्या 12/2020 दर्ज करवाया जिसमें भी बेदखली का निर्णय पारित होने पर प्रार्थीगण का कब्जा (जम्प) दिनांक 24.06.2020 को उपखण्ड अधिकारी नावां की उपस्थिति में तहसील प्रशासन द्वारा हटवाया गया था। तत्समय प्रार्थीगण द्वारा मौके पर राजकार्य में बाधा पहुंचायी गई थी जिससे प्रार्थीगण के विरूद्ध तहसीलदार नावां द्वारा पुलिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:12:05 IST
Reason: SelfAttested

थाना चितावा में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई थी, जिसकी जांच विचाराधीन है। प्रार्थीगण द्वारा दुबारा मिट्ठी डालकर जम्प बना दिया है। इस प्रकार पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 91 आरएलआर एक्ट के तहत् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 02/2020 दर्ज कर विधिवत सुनवाई की जा रही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को विधिवत सुनवाई का उचित अवसर देकर सुनवाई की जा रही है। अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार के दबाव में कार्यवाही नहीं की जा रही है। प्रार्थीगण ने प्रकरण को लम्बित रखने की नीयत से यह झुठा आवेदन पेश किया है। प्रार्थीगण को उचित सुनवाई का समय दिया गया तथा किसी प्रकार के भेदभाव बगैर सुनवाई की जा रही है। प्रार्थीगण झुठी कहानी घडकर प्रकरण को लम्बित करना चाह रहे है। पटवारी हल्का के बयान प्रकरण में दर्ज किये जा चुके है परन्तु प्रकरण में किसी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किये जाने का कथन करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना खारिज किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी ने बहस के समर्थन में आर.आर.टी. 2014(1) पेज–516–519, आर.आर.टी. 2006(2) पेज 951–953, आर.एल.डब्लू1990(1) पेज–175 से 177 न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली एवं वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी ने पटवारी हल्का नालोट की झूठी एवं फर्जी रिपोर्ट को सही मानकर उसके आधार पर प्रकरण संख्या 02/2020 दर्ज करने का कथन किया है। उक्त रिपोर्ट प्रथम दृष्टया ही झूठी एवं फर्जी होने के संबंध में वकील प्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इसके अलावा उक्त रिपोर्ट झूठी एवं फर्जी होने के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाकर तत्पश्चात निर्णय पारित किया जावेगा एवं सुनवाई में साक्ष्य, सबूत व रिकार्ड का विधिवत अवलोकन से ही ज्ञात हो सकता है कि उक्त रिपोर्ट झूठी एवं फर्जी है अथवा नहीं। इसलिए वर्तमान स्टेज पर उक्त रिपोर्ट को झूठी एवं फर्जी नहीं माना जा सकता है। जहां तक अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी राजनैतिक पहूंच वाले व्यक्तियों के दबाव में होने एवं उक्त व्यक्तियों को खुस करने के लिए प्रार्थीगण को दोषी घोषित करने पर आमादा होने का वकील प्रार्थीगण का कथन है। वकील प्रार्थीगण द्वारा अपने उक्त कथन के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे की प्रार्थीगण के उक्त कथन को बल मिले। जबकि उक्त संबंध में अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में बताया है कि प्रार्थीगण को विधिवत सुनवाई का उचित अवसर देकर सुनवाई की जा रही है, किसी प्रकार के दबाव में कार्यवाही नहीं की जा रही है एवं प्रार्थीगण ने प्रकरण को लम्बित रखने की नीयत से यह झुठा आवेदन पेश किया है। प्रार्थीगण के उक्त कथन मात्र के आधार पर प्रकरण किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय व्यवस्था के अनूकल नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण संख्या 02/2020 सरकार बनाम मोहनलाल व अन्य की पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय अप्रार्थी के यहां विचाराधीन है जिसमें अभी निर्णय पारित नहीं किया गया है एवं अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा भी किसी प्रकार के दबाव में कार्यवाही नहीं करने, प्रकरण में विधिवत सुनवाई करने एवं प्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने का कथन किया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र ठोस आधारों पर नहीं होने से खारिज किया जाता है। ओदश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:12:05 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर